N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0234   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 13/09/2025 14:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 09/09/2025   Date To (दिनांक तक): 11/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:30 बजे   Time To (समय तक): 15:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/09/2025   Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय): 13/09/2025 14:10:07 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 270 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARALYA UP SHRAM AYUKAT, BHILWARA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOINUDEEN KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ABDUL SAMAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SARDAR NAGAR HAVAILI KA CHAUK, POLICE THANA BANERA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SARDAR NAGAR HAVAILI KA CHAUK, POLICE THANA BANERA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA KUMARA LAKHARA		पिता:NANDLAL LAKHARA	1. H6-60,BAPU NAGAR BHILWARA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
2	ASHOK KUMAR ACHARYA		पिता:LADHULAL ACHARYA	1. A-5/41,JAGDISH BHAWAN,BHOPAL MAINING KE SAMENE,JAWAHAR NAGAR,BHILWARA,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		33,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 33,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम । विषय - रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषय में प्रार्थी मोईनुदीन खां पुत्र श्री अब्दुल समद उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान पठान निवासी सरदार नगर हवेली का चौक पुलिस थाना बनेडा जिला भीलवाडा (पेशा फोटोग्राफी) का निवासी हूं । मेरे छोटे सालाजी रईस की वर्ष 2012 में ड्राईवरी करते समय दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका दुर्घटना क्लेम 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपये) न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त भीलवाडा राज. से दिनांक 25.02.2025 को जारी हुआ था। जिसमें मेरी सासुजी फरीदा बेगम स्व0 पत्नि छोटू खां आयु 65 वर्ष निवासी खानिया सोनगर रोड बस्सी, थाना बस्सी जिला चित्तौडगढ को 15,00,000/- रूपये मे से 2-2 लाख रूपये की 04 एफ.डी. एवं 7.00 लाख रूपये खाते में आये। मेरी सासू जी के घरेलू कार्य, जीवन यापन एवं मकान कार्य निर्माण हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर उन्होनें एक 2.00 लाख रूपये एवं एक 2.00 लाख रूपये एफ.डी.आर. समय पूर्व तुडवाने हेतु एक शपथ पत्र और मूल एफ.डी. दस्तावेज उप श्रम आयुक्त भीलवाडा के कार्यालय में दिनांक 16.05.2025 को पेश किया था। मैं तथा मेरी सासु जी कई बार उप श्रम आयुक्त कार्यालय के चक्कर लगाये लेकिन करीब 4 माह बीतने पर भी मेरी सासू जी के एफ.डी.आर. तुडवाने के आदेश नही हुए। मेरी सासु जी के कहने पर मैं कल दिनांक 08.09.2025 को समय 12.30 पी.एम. के लगभग कार्यालय में श्री नरेन्द्र कुमार लखारा ए.ए.ओ से मिलने गया तो वहां पर मुझे कर्मचारी श्री अशोक कुमार आचार्य मिला तो उसने मुझे कहा कि मैं आपकी एफ.डी.आर. तुडवाने के संबंध में ए.ए.ओ श्री नरेन्द्र कुमार जी से बात कर काम करवा दूंगा लेकिन मुझे 10,000/- रूपये देने पडेगें। इसके बाद श्री अशोक कुमार आचार्य श्री नरेन्द्र कुमार ए.ए.ओ से बात करके आ गया। मुझे ए.ए.ओ से बातचीत के लिये भेज दिया। मैं कार्यालय में श्री नरेन्द्र कुमार ए.ए.ओ से मिला तो उन्होने मेरे से प्रति एफ.डी.आर. 20,000/- रूपये के हिसाब से दोनो एफ.डी.आर. पर समय पूर्व तुडवाने के आदेश की एवज में कुल 40,000/- रूपये रिश्वत की मांग की। मैनें श्री नरेन्द्र कुमार जी से निवेदन किया कि आप दोनो एफ.डी.आर. तुडवाने के आदेश कर देवें। पैसें हमारें खाते में डाले लेकिन ए.ए.ओ साहब ने कहा कि पहले 40,000/- रूपये मुझे केश ही देना पडेगा तभी आदेश करूंगा। मैं नही मिलूं तो अशोक आचार्य को पैसे दे देना। इस प्रकार मेरे से श्री नरेन्द्र कुमार ए.ए.ओ ने 40,000/- रूपये एवं श्री अशोक आचार्य ने 10,000/- रूपये कुल 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की। इस बारे में मैनें मेरी सासु जी फरीदा बेगम से मोबाईल पर बातचीत की, मेरी सासु जी ने किसी को भी रिश्वत नही देने हेतु बताया। मै मेरे जायज कार्य की एवज में श्री नरेन्द्र कुमार ए.ए.ओ एवं श्री अशोक आचार्य को किसी भी प्रकार की रिश्वत नही देना चाहता हूं। बल्कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। आज मेरी सासु जी फरीदा बेगम मेरे साथ रिपोर्ट करने आई है। मेरी सास ने मुझे एसीबी में रिपोर्ट करने के लिये अधिकृत किया है। मेरी ए.ए.ओ श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री अशोक आचार्य से किसी भी प्रकार की रंजिश नही है और कोई लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही करें। प्रार्थी नाम- मोईनुदीन खां पठान पिता- अब्दुल समद खां उम्र - 34 वर्ष निवासी- ग्राम सरदार नगर, हवेली का चौक, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा। मोबाईल नम्बर ' संलग्न - 1. प्रकरण सं. ई.सी. 68/2012, आदेश दिनांक 25.02.2025 2. उप श्रम आयुक्त भीलवाडा का दिनांक 25.02.2025, पी.एन. बी. को प्रेषित पत्र। 3. भुगतान की अनुमति, शपथ पत्र दिनांक 16.05.2025 4. आधार कार्ड मय फोटो 5. आधार कार्ड फरीदा बेगम मय फोटो कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों भीलवाडा प्रथम दिनांक 09.09.2025 समय-2.30 पीएम, उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट प्रार्थी श्री मोईनुदीन खां पुत्र श्री अब्दुल समद जाति मुसलमान पठान उम्र 34 वर्ष निवासी सरदार नगर हवेली चौक पुलिस थाना बनेडा जिला भीलवाडा मय अपनी सास फरीदा बेगम पत्नि स्व. श्री छोटू खां जाति मुसलमान पठान उम्र 65 वर्ष निवासी खानिया सो रोड बस्सी, पुलिस थाना बस्सी

जिला चितौडगढ ने उपस्थित कार्यालय होकर मन उप अधीक्षक के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में परिवादी श्री मोईनुदीन खां से दरयाप्त की गई तो बताया कि पेशे से फोटोग्राफी का कार्य करता हूँ, तथा उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट मैने तहसील कार्यालय बनेडा मे टाईप करवाकर कर लाया हूँ, तथा मैनै बीए तक की पढाई की है। दरयाप्त पर बताया कि मेरे छोटे सालाजी रईस की वर्ष 2012 में सडक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसका दुर्घटना क्लेम 15.00 लाख रूपये न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त भीलवाडा से दिनांक 25.02.2025 को जारी हुआ था। मेरे सालाजी अविवाहित थे, इसलिये 15.00 लाख रूपये का क्लेम मेरी सासु जी फरीदा बेगम के नाम से 8.00 लाख रूपये की 04 एफडीआर एवं 7.00 लाख रूपये बैंक के जरिये मिले थे। मेरी सासुजी के घरेलू कार्य, भरण पोषण एवं मकान निर्माण के लिये पैसो की आवश्यकता होने पर 02 एफडीआर राशि 2-2 लाख रूपये की समय पूर्व तुडवाने के लिये मेरी सास ने दिनांक 16.05.2025 को उप श्रम आयुक्त के कार्यालय में एक शपथ पत्र एवं मूल 02 एफडीआर राशि 4.00 लाख रूपये की पेश की थी। लेकिन करीबन 04 माह गुजर जाने के बाद भी एफडीआर तुडवाने के आदेश नही मिले। मै तथा मेरी सासुजी कई बार उप श्रम आयुक्त कार्यालय लेबर कालोनी पांसल चौराये पर अधिकारियों के चक्कर लगाये लेकिन हर बार हमे टरका देते है। मेरी सासु जी की उम्र 65 वर्ष होने के कारण व बस्सी से बार-बार नही आ सकती है। इसलिये उन्होने मुझे कार्यालय में जाकर एफडीआर तुडवाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिये बताया। मै कल दिनांक 08.09.2025 को समय करीबन 12.30 पीएम के लगभग उप श्रम आयुक्त कार्यालय में मेरे कार्य के संबंध में गया तो वहाँ कार्यालय में मुझे श्री अशोक कुमार आचार्य कार्मिक मिला उसने मुझे कहा कि कैसे आये हो तो मैने मेरा काम बताया तो कहा कि मै आपकी एफडीआर तुडवाने के संबंध में एएओ साहब श्री नरेन्द्र कुमार जी से बात कर काम करवा दूंगा, लेकिन मुझे 10,000 रूपये देने पडेगे। इसके बाद श्री अशोक कुमार आचार्य, श्री नरेन्द्र कुमार एएओ साहब के पास अन्दर कार्यालय में जाकर बात करके आया और कहा कि मेरी बात हो गई है, और आप बात कर लो इसके बाद मुझे कार्यालय में भेजा तो मैने श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मिला तथा मेरी सासुजी के नाम की एफडीआर तुडवाने के काम के संबंध में बातचीत की तो उन्होने मुझे प्रति एफडीआर 20,000/रूपये के हिसाब से 02 एफडीआर के 40,000/रूपये रिश्वत की मांग की तो मैने श्री नरेन्द्र जी से निवेदन किया कि अभी हमारे पास पैसे नही है, मेरी सासु जी भी बहुत गरीब है, उनके पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो कहा कि आप पहले 40 हजार रूपये मुझे कैश दोगें तभी मै एफडीआर तोडने के आदेश करूंगा। श्री नरेन्द्र कुमार ने कहा कि अगर मै नही मिलूं तो 40 हजार रूपये अशोक आचार्य को दे देना। इसके बाद मैने मेरी सासुजी फरीदा बेगम को रिश्वत राशि मांगे जाने के संबंध में बात की तो मेरी सासु जी ने किसी को भी रिश्वत नही देने के संबंध में बताया । मै मेरे जायज कार्य की एवज में श्री नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री अशोक आचार्य कार्मिक को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ, बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। आज मेरी सासुजी फरीदा बेगम भी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करने मेरे साथ आई है। मेरी सासुजी की उम्र 65 वर्ष है, तथा ज्यादा पढी लिखी नही है, इसलिये मुझे ही एसीबी मे रिपोर्ट करने के लिये बताया है। इस पर कार्यालय में उपस्थित फरीदा बेगम से पूछताछ की तो बताया कि मोइनुदीन जी मेरे दामाद है, मेरी लडकी सुरैया बानौ की शादी इनसे 7 वर्ष पहले की है। मेरे छोटे बेटे रईस की मौत के क्लैम के पैसे से संबंधित सारी कार्यवाही मेरे दामाद मोईनुदीन जी ही कर रहे है। मै एसीबी में रिपोर्ट एवं कार्यवाही की इनको पूर्ण सहमति देती हूं। मै पढी लिखी नही हूँ, मै केवल अपना नाम लिखना जानती हूँ। आगे की सारी कार्यवाही मोइनुदीन ही करेगे। रिपोर्ट में लिखी हुई सारी बात मेरी जानकारी में है। श्री मोइनुदीन एवं फरीदा बैगम ने बताया कि हमारी श्री नरेन्द्र कुमार जी एवं श्री अशोक कुमार आचार्य से कोई रंजिश नही है। परिवादी श्री मोइनुदीन ने बताया कि एएओ साहब बिना पैसे लिये हमारी एफडीआर तुडवाने के आदेश नही देगें। दरयाप्त एवं प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास जाकर रिश्वत राशि मांग से संबंधित वार्ता को रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी ने कहा कि एएओ साहब नरेन्द्र कुमार जी ने मुझे आज ही बुलाया है। लेकिन एएओ साहब नरेन्द्र कुमार जी अभी बिना पैसे न तो मेरे से बात करेगें और आज मेरे एवं मेरी सासुजी के पास पैसों की व्यवस्था नही है। मै कल कुछ पैसों की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। अतः परिवादीगण श्री मोइनुदीन एवं फरीदा बैगम को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। परिवादी को निर्देश दिये कि आप कल प्रातः कार्यालय समय में सत्यापन वार्ता हेतु उपस्थित आवे। परिवादी गण को रूखसत किया गया। दिनांक 10.09.2025 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मोइनुदिन उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री मोईनुदीन को उप श्रम आयुक्त कार्यालय में जाकर एएओ श्री नरेन्द्र कुमार एवं सहायक कार्मिक श्री अशोक कुमार आचार्य से मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने की कहने पर कहा कि मै अभी जाकर श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री अशोक आचार्य से मेरे कार्य के संबंध में जाकर वार्ता कर लूंगा एवं रिश्वत मांग से संबंधित वार्ता को रिकॉर्ड कर लूंगा। तत्पश्चात श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से मालखाने से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड मय नया मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक ने कार्यालय के मालखाने मे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं मय एक नया मैमोरी कार्ड 64 जीबी सैनडिस्क कम्पनी का लाकर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कार्यालय कानि0 श्री पवन राव को मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री

मोइनुदिन से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों के मोबाइल नम्बर आपस में शेयर किये गये। तथा कानि. श्री पवन को परिवादी के साथ जाकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा की जा रही रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाकर होने वाली वार्ताओं को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने प्रक्रिया समझाई गई। कानि. श्री पवन एवं परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी कि आप संदिग्ध अधिकारी के रिश्वत देने के संबंध में किसी प्रकार का ऑफर नही करे। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री मोइनुदिन एवं कानि0 श्री पवन राव को अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु उप श्रम आयुक्त कार्यालय, भीलवाडा की ओर रवाना किया। तथा कानि0 श्री पवन राव को निर्देश दिये कि आप परिवादी को वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड अच्छी तरह से लगा हो चैक करके सुपुर्द करे। परिवादी को एसओ के पास वार्ता करने आते-जाते देखने का प्रयास करे एवं एसओ की आम शोहरत के बारे में भी गोपनीय जानकारी करे। समय 03.00 पी.एम पर कानि0 श्री पवन कुमार एवं परिवादी श्री मोईनुदीन खां उपस्थित कार्यालय आये तथा बताया कि हम दोनो 1.15 पी.एम पर कार्यालय में आये गये थे, आप न्यायालय में गये हुए थे। कानि0 श्री पवन कुमार ने कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद हालत में मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। कानि0 ने बताया कि निर्देशानुसार मैं तथा परिवादी अपनी-अपनी मोटर साईकिल से कार्यालय से रवाना होकर समय 11.28 ए.एम. पर पासंल चौराये पर पहूंचे तथा परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर दिया जिसको परिवादी श्री मोईनुदीन खां ने अपनी पहनी हुई शट की उपर की बांयी जेब में रखा। समय 11.30 ए.एम पर परिवादी को एस.ओ. के पास वार्ता करने के लिये उप श्रम आयुक्त कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छूपाते हुए मुकिम रहा तथा परिवादी को कार्यालय में जाते एवं आते हुए को देखा। करीब 12.35 पी.एम. के लगभग परिवादी मेरे पास आया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैनें बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी AAO श्री नरेन्द्र कुमार एवं कार्मिक श्री अशोक आचार्य से वार्ता हो गई है जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके बाद हम रवाना होकर कार्यालय आये। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ की तो बताया कि मैं तथा पवन कानिस्टेबल कार्यालय से अलग-अलग मोटर साईकिल लेकर पांसल चौराया पहूंचे। जहां पवन जी कानि0 ने मुझे 11.30 ए.एम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर दिया, जिसका मैनें चालू हालत में मेरी शर्ट की उपर की बांई जेब में रखा, तथा श्री नरेन्द्र कुमार AAO व श्री अशोक आचार्य से वार्ता करने उप श्रम आयुक्त लेबर कार्यालय में गया, तो मुझे वहां अशोक कुमार मिला जिससे मैनें मेरे लम्बित काम के संबंध में वार्ता की तो अशोक आचार्य ने कहा कि आर्डर तो आज हो जांई पर बात करजो, उनसे वो क्या कहते है, मैनें अशोक कुमार से थोडा प्रसेंट पैसे कम कराने की कहा और अशोक कुमार से कहा, 10 आप लोगे, चालिस AAO साहब नरेन्द्र जी के, पचास हो जांई, चालिस तक करवा दो, इन्हें मैनें 10 हजार रूपये कम करने कहा, मैनें अशोक कुमार को AAO नरेन्द्र कुमार के पास साथ चलने और बोलने की कहा तो कहा कि फैली करना पैडी, (पहले करने पडेगें) आगे वार्ता में कहा कि फैली करना पैडी, पछै नही छा रिया है। और कहा कि आज ऑर्डर कर रिया, जब मैनें कहा कि अबार आपने किता दे दूं, 20 दे दू तो कहा कि सारा ही देना पडी, अर्थात 40,000/- एक साथ ही रिश्वत राशि की मांग की। इसके बाद में करीब 50 मिनट बाद श्री अशोक आचार्य ने मेरी बात कराई तो नरेन्द्र कुमार AAO ने रिश्वत राशि मांग में चतुरता बरतते हुए पास ही खडे अशोक अचार्य से पूछा कि जमा करा दिया इनैं। तथा कहा कि 10 प्रसेंट फीस बीस बताई जो जमा करा दो । इस पर मैनें AAO श्री नरेन्द्र कुमार को कहा कि सर थोडाक कम कर देना सर हालत नही है, इनकी कंडीशन आपको पता है। मैनें काफी निवेदन किया फिर AAO साहब ने कहा कि आप यान जमा करा जायजो जो न्याय शुल्क है, जमा करा जाईजे, अर्थात 40,000/- रिश्वत राशि अशोक आचार्य को देने के लिये कहा तो मैनें कहा कि 10 परसेन्ट 40 बन रहा है, मैनें 40,000/- में कम करने के लिये निवेदन किया तब AAO साहब ने कहा कि जो नियमानुसार है, जो दे दिजो ठीक है। इनको दे जाना ठीक है, कर दिजो। तथा श्री नरेन्द्र कुमार AAO एवं अशोक आचार्य ने कल फाईल पर मेरे सासु जी के हस्ताक्षर करवा पैसें उनके A/C में डालने की कहा, परिवादी से न्याय शुल्क के बारे मे पूछा तो बताया कि हमनें दिनांक 16.05.2025 को शपथ पत्र पेश कर FDR तुडवाने का निवेदन किया लेकिन अभी तक AAO नरेन्द्र कुमार एवं कार्मिक अशोक को हमने रिश्वत नही दी इसलिये काम को लटका रखा है। FDR तुडवाने के लिये कोई न्यायिक शुल्क नही लगता है। AAO साहब एवं अशोक कुमार न्याय शुल्क की आड में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। वार्ता अनुसार 10 हजार रूपये अशोक आचार्य एवं 30,000 रू. AAO साहब स्वयं के लिये मांग रहे है। एएओ साहब 30,000 रूपये की रिश्वत राशि अशोक आचार्य को ही दिलवायेगें। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के DVR को चालू कर रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी श्री मोईनुदीन खां के साले की DEATH क्लैम की राशि की 02-FDR समय पूर्व तुडवाने के ऑर्डर करने की एवज में AAO श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा 30,000 रूपये एवं अशोक कुमार 10,000 रूपये की रिश्वत राशि न्यायिक शुल्क की आड में मांग की गई। अतः परिवादी से एस.ओ. द्वारा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी श्री मोईनुदीन ने कहा कि अभी मेरे पास एवं मेरी सासु जी के पास रिश्वत में देने के लिये पूरे पैसो व्यवस्था नही है, और श्री नरेन्द्र कुमार एएओ साहब एवं श्री अशोक कुमार आचार्य बिना पैसे न तो मेरी सास के पत्रावली पर साईन करवायेगे और न ही ऑर्डर

जारी करेंगे। मै कल तक पैसो की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को रूखसत किया गया तथा हिदायत दी गई की एसीबी कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखे। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 5.00 पी.एम पर श्री खालिद हुसैन हैडकानि0 88 को एसीबी की गोपनीय कार्यवाही हेतु 02 स्वतंत्र गवाह लाने हेतु जरिये कार्यालय पत्रांक 1523 दिनांक 10.09.2025 से कार्यालय अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 भीलवाडा रवाना किया गया। समय 6.00 पी.एम. पर श्री खालिद हुसैन हैडकानि0 88 कार्यालय अधीक्षण अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 भीलवाडा से 02 स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप स्वर्णकार CA-II श्री सीताराम गुर्जर Techn.II लेकर उपस्थित कार्यालय आया। गवाहान को ब्यूरों द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में तलब करने के संबंध में पाबन्द किया। कार्यालय आदेश क्रमांक 262 दिनांक 10.09.2025 को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 7.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप स्वर्णकार कुलदीप स्वर्णकार CA-II श्री सीताराम गुर्जर Techn.II को प्रातः की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने एवं कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। समस्त एसीबी स्टॉफ को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। दिनांक 11.09.2025 समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां उपस्थित कार्यालय आया, तथा मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 40,000 रूपये की व्यवस्था नही हो पाई है। तथा मेरी सासु जी फरीदा बेगम के पास भी अभी पैसो की व्यवस्था नही हो पाई मै। मै अभी घंटे दो घंटे में पैसो की व्यवस्था करके कार्यवाही के लिये उपस्थित हो रहा है। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 11.45 एएम पर पूर्व में पाबंद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप स्वर्णकार पुत्र श्री राधेश्याम स्वर्णकार, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 1/ए-5, सोमानी वाटर के पीछे, तिलक नगर, पुलिस थाना भीमगंज, भीलवाडा हाल कामर्शियल असिस्टेंट द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाडा व श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री नाथूसिंह गुर्जर, उम्र 35 वर्ष, निवासी पोस्ट कालोता, तहसील कुण्डल, जिला दौसा, हाल टेक्निशियन प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, एमएसटी, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाडा कार्यालय मे उपस्थित आये जिनको कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 1.25 पीएम पर परिवादी श्री मोइनुदीन खां उपस्थित कार्यालय आया तथा मुझ उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे द्वारा काफी प्रयास करने के बाद भी 40000/रूपये की व्यवस्था नही हो पाई है, मेरे पास केवल 33,000 /रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है, मै ओर राशि की व्यवस्था करने में सक्षम नही हूं। परिवादी और रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में सक्षम नही है। अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तथा श्री कुलदीप स्वर्णकार CA-II श्री सीताराम गुर्जर Techn.II स्वतंत्र गवाहान को मन उप अधीक्षक के कक्ष मे बुलाया तथा ब्यूरों द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की लिखित में सहमति चाही गई। दोनों ने लिखित में सहमति पेश की। प्रकरण के परिवादी श्री मोइनुदीन खां का एक दूसरे का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान को पढाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित में कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकला गया। तथा दिनांक 10.09.25 को परिवादी एवं आरोपीगणों के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित रिकॉर्ड वार्ता डीवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर मांग सत्यापन वार्ता गवाहान को सुनाई गई, दोनो स्वतंत्र गवाहान ने रिकॉर्ड वार्ता को सुनने के बाद परिवादी से रिश्वत राशि मांग किये जाने की पुष्टि की। परिवादी ने बताया कि मेरी सासु जी भीलवाडा आ चुकी है, तथा मेरे सालाजी के 03 छोटे बच्चों है, जिनको मेरी सासुजी बस्सी छोडकर आई है, वो ज्यादा समय तक यहाँ नही रूक सकती है, मुझे आज ही फाईल पर हस्ताक्षर करवाये जाने है। यदि आज मेरी सासुजी को श्रम आयुक्त कार्यालय ले जाकर साईन नही करवाये तो वह दुबारा आने में सक्षम नही है। परिवादी ने बताया कि मेरी सासुजी 65 वर्ष की है, तथा बीमार रहती है। अतः परिवादी के बताये अनुमार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड को डीवीआर से निकाल कर मन उप अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 1.40 पीएम पर श्री मधुसुदन सहायक उप निरीक्षक, श्री नारायण लाल कानि0 बेल्ट नं0 53, श्री प्रेमराज मीणा कानि0 एवं श्री विनोद विश्नोई मय वाहन सरकारी बोलेरो के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरों भीलवाडा चौकी दितीय के आदेशानुसार उपस्थित कार्यालय आये। समय 1.45 पीएम पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां पुत्र श्री अब्दुल समद जाति मुसलमान पठान उम्र 34 वर्ष निवासी सरदार नगर हवेली चौक पुलिस थाना बनेडा भीलवाडा को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर गवाहान के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 66 नोट कुल राशि 33,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। नोटो के नम्बर निम्नानुसार है – 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 UD 543241 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 DW 767645 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 PM 379850 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 BH 044467 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 CV 768223 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 QL 832653 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 DH 101809 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 FF 140062 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 PR 014496 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 RK 522193 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 AP 970144 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4

EG 946176 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 HH 255861 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 EH 212680 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 RS 965832 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 EC 001607 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 TA 449380 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 DR 214175 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 CU 728639 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 SD 674392 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 QP 521780 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 PF 277910 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 RU 419753 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 PW 214123 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 QU 627591 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 NR 588759 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 FH 669886 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 AN 824131 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 TK 981623 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 EQ 277807 31. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 QP 340131 32. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 HY 863616 33. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 KT 766854 34. 500 रूपये का एक नोट नम्बर4 NN 562082 35. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 NC 808265 36. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 WG 626514 37. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 KQ 296695 38. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 BT 989167 39. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 PG 917916 40. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 GD 680428 41. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 FW 752298 42. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 EE 280231 43. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 MU 265613 44. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 UF 686391 45. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 EV 556498 46. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 VF 445684 47. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 AV 527581 48. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 QT 758970 49. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 HQ 203121 50. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 EQ 151219 51. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 QH 812429 52. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 GH 202290 53. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 GK 317381 54. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 VL 264214 55. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 FA 602868 56. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 FV 398933 57. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 CP 993485 58. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 VR 077923 59. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 NR 815653 60. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 NP 672070 61. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DM 399567 62. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 GH 373081 63. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DP 836571 64. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 TM 422438 65. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BH 035659 66. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 VP 873048 उक्त सभी नोटो पर श्री नारायण लाल कानि0 53 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की 01 फर्द मुर्तिब कर सभी नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये। फर्द मेरे निर्देशन मे हैड कानिस्टेबल श्री खालिद हुसैन से तैयार करवायी गई तथा फर्द पर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.00 पीएम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री, कुलदीप स्वर्णकार व श्री सीताराम ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री राजवीरसिंह कानि0, श्री गजेन्द्र सिंह बेल्ट नं0 15 मय वाहन सरकारी बोलेरो मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री के एवं श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 88 मय श्री नेमीचंद सहायक उपनिरीक्षक मोटर साईकिल से, श्री राजेश कुमार एसआई, मय श्री मधुसुदन एएसआई, श्री प्रेमराज मीणा कानि0, श्री विनोद कुमार चालक मय वाहन सरकारी बोलेरो एसीबी चौकी द्वितीय एवं परिवादी श्री मोईनुदीन एवं श्री पवन राव कानि0 बेल्ट नं0 17 से मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड 64 जीबी सेनडिस्क कम्पनी का वास्ते रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकॉर्डिंग हेतु सुपुर्द किया गया। श्री राजवीरसिंह कानि0 को कार्यालय का मोबाईल मय 64 जीबी सेनडिस्क कम्पनी का एक नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये। ट्रेप कार्यवाही हेतु पांमल चौराया उप श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर रवाना हुए। समय 03.25 पी.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के पांमल चौराया के पास पहुँचे। जहाँ उप श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने गली में वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मेरी मामुजी भी आ गई है। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री पवन राव को कार्यालय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। जिस पर कानि0 श्री पवन राव ने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपूर्द किया तथा परिवादी एवं उसकी सास फरीदा बेगम को रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु उप श्रम आयुक्त कार्यालय रवाना किया। मन उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए कार्यालय के आस-पास रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए एवं कानि0 श्री पवन राव को परिवादी के पीछे-पीछे एवं श्री नेमीचंद एएसआई एवं श्री खालिद हुसैन हैडकानि0 को उप श्रम आयुक्त कार्यालय के रास्ते के नुक्कड पर बनी चाय के ढाबे पर मुकिम होने के निर्देश देकर रवाना किया गया। समय 03.50 पी.एम पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां ने मुझ उप अधीक्षक पारसमल को जरिये मोबाईल बताया कि मेरे से अशोक आचार्य नें 33000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर ली है तथा अशोक कुमार नें रिश्वत राशि 33000 रूपये लेकर श्री नरेन्द्र कुमार एएओ की अलमारी में रख दिये है। मैं जब कार्यालय में प्रवेश किया तो उसी समय श्री नरेन्द्र कुमार नें मुझे कहा कि बहुत लेट आये हो तथा ऑफिस में बैठो और रिश्वत राशि अशोक कुमार नें लेकर मेरी मामु जी के व मेरे फाईल पर हस्ताक्षर करवा दिये तथा मुझे कहा कि बैंक डायरी की फोटोकॉपी करवाने के लिये कहा है। परिवादी के

कार्यालय के गेट पर आकर फोन करने के दौरान ही श्री पवन कुमार कानिस्टेबल, श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री नेमीचंद एएसआई को रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में बताया एवं मन उप अधीक्षक परिवादी की सूचना पर एसीबी टीम मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के उप श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रवेश किया जहां पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां एवं श्रीमती फरीदा बेगम उपस्थित मिले तथा मेन चेनल गेट के पास ही एसीबी स्टाफ श्री खालिद हुसैन व श्री नेमीचंद व पवन कुमार द्वारा एक व्यक्ति को घेरकर खडे नजर आये। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोईनुदीन खां से पूछताछ की तो परिवादी नें बताया कि ये सामने एसीबी स्टाफ के पास खडा व्यक्ति ही अशोक कुमार आचार्य है, जिसने अभी अभी मेरे से 33000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर श्री नरेन्द्र कुमार एएओ की कार्यालय अलमारी में रखे है तथा मेरे एवं मेरी सास फरीदा बेगम के पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाये है। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा एसीबी स्टाफ के पास खडे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम अशोक कुमार आचार्य पुत्र श्री लादूलाल आचार्य निवासी ए-5/41, जगदीश भवन, भोपाल माईनिंग के सामने जवाहर नगर भीलवाडा का होना बताया तथा उप श्रम आयुक्त कार्यालय में काम करना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय हमराही एसीबी टीम का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया तथा श्री अशोक कुमार से परिवादी श्री मोईनुदीन खां से उसके साले की मृत्यु डेथ क्लेम की एफडीआर राशि 4.00 लाख रूपये को समय पूर्व तोडने के लिए कार्यालय से श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ से आदेश करवाने की ऐवज में अभी अभी 33000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है, इस पर श्री अशोक कुमार नें बताया कि यह अभी - अभी हमारे पास आये थे तथा 33000 रूपये मैनें अलमारी में रखे है। इस पर अशोक कुमार नें मन उप अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के साथ चलकर श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ के रूम में रखी लोहे की अलमारी की सैकण्ड रैक में एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखी चाबियों के गुच्छे के उपर रखी हुई नोटो की गड्डी निकालकर कहा कि यही पैसे है जो अभी-अभी मोईनुदीन जी देकर गये है। इस पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री अशोक कुमार से पूछा कि इस रूम में कौन बैठता है तथा आपने इस अलमारी में 33000 रूपये की राशि किसके कहने पर रखे तो बताया कि यह रूम श्री नरेन्द्र कुमार एएओ साहब का ही है, आज श्री मोईनुदीन एवं फरीदा बेगम के मैनें एएओ साहब के कहने से पत्रावली में हस्ताक्षर करवाये है तथा मुझे मोईनुदीन नें यह पैसे नरेन्द्र कुमार जी को देने के लिए कहा था इसलिये मैनें यह पैसे यहां रख दिए। श्री अशोक कुमार से श्री नरेन्द्र कुमार एएओ के बारे में पूछा तो बताया कि वो अभी-अभी कार्यालय से घर चले गये है। आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण किये जाने की पुष्टि होने पर मन उप अधीक्षक द्वारा श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि व श्री पवन कुमार कानि मय सरकारी वाहन से श्री नरेन्द्र कुमार एएओ की तलाश हेतु उसके घर पर भिजवाया गया तथा रिश्वत राशि को सुरक्षित उसी कार्यालय अलमारी में गवाहान के समक्ष उसी जगह रखवाकर श्री राजेश कुमार एसआई, श्री नेमीचंद एएसआई को कार्यालय के बाहर मामूर किया तथा परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली मय श्री अशोक कुमार के उप श्रम आयुक्त के कार्यालय कक्ष में पहुंचे जहां श्री सुनील कुमार उप श्रम आयुक्त जिला भीलवाडा उपस्थित मिले। जिनको मन उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का एवं एसीबी स्टाफ का परिचय दिया तथा की जाने वाली एसीबी कार्यवाही के संबंध में अवगत करवाया। श्री खालिद हुसैन मय टीम के श्री नरेन्द्र कुमार एएओ को लेकर उपस्थित आये तत्पश्चात श्री अशोक कुमार द्वारा ली गई रिश्वत राशि एवं कार्यालय अलमारी में रिश्वत राशि रखने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार से स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैनें इनसे कोई रिश्वत राशि नही मांगी। कल यह मेरे पास एफडी तुडवाने के लिए आये थे, जो मैनें फाईल पर कार्यवाही कर दी है, इनको फीस जमा करवानी थी। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष में ही रखी साफ पानी की बोतल मे अनुसंधान बॉक्स में से दो डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर साफ पानी भरवाकर श्री रामपाल स.उनि से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवायी जाकर गवाहान के समक्ष एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार आचार्य के बायें हाथ की अंगुलियो, अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार आचार्य के दाहिने हाथ की अंगुलियों, अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार आचार्य द्वारा 33000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर श्री नरेन्द्र कुमार एएओ की अलमारी में रखी गई है, जिसकी बरामदगी हेतु मय गवाहान मय आरोपीगण के श्री नरेन्द्र कुमार के कार्यालय में पहुंचकर अलमारी में रखी गई नोटो की गड्डी को श्री अशोक कुमार से निकलवाया गया तथा उक्त नोटो की गड्डी को गवाहान श्री कुलदीप सिंह एवं श्री सीताराम गुर्जर से नोटो का पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द में अंकित नोटो से मिलान करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये, तथा उक्त सभी रिश्वत राशि नोटो को गवाह श्री कुलदीप के पास सुरक्षित रखवाई गई। श्री नरेन्द्र कुमार एएओ की सरकारी अलमारी में जिस जगह रिश्वत राशि रखी हुई है एवं बरामद हुई है, उस जगह से गवाहान व परिवादी के समक्ष कॉटन के फोये से रगडकर उक्त कॉटन के फोये को सोडियम कार्बोनेट का घोल प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में तैयार कर उक्त कॉटन के फोये को सोडियम

कार्बोनेट के घोल में डूबाया गया तो उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। तत्पश्चात दो कांच की शिशियों में आधा आधा घोल भरकर शिल्ड चिट कर मार्क A-1 व A-2 दिया गया। तथा सभी आर्टिकल पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि नोट 33,000/- रूपये जिसमें 500-500 के कुल 66 नोटो को एक कागज के पीले लिफाफे मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र कुमार एएओ मे स्पष्टीकरण लिया गया, श्री नरेन्द्र कुमार नें बताया कि मैं फरवरी 2025 से एएओ कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाडा में पदस्थापित हूं। श्री अशोक कुमार मेरे पास फोटोकॉपी कराने, तामिले करवाने का काम करता है। मैं मोईनुदीन को शक्ल से जानता हूं, नाम मे नही जानता हूं, यह मेरे पास सोमवार को एफडीआर भुगतान के लिए आये थे लेकिन इनके दस्तावेज पूरे नही होने के कारण मैनें इनको लौटा दिया था। फरीदा बेगम व मोईनुदीन नें एफडीआर समय पूर्व तुडवाने के संबंध में कार्यालय में या आपके पास आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में पूछने पर बताया कि इन्होने अप्रेल, मई के आस पास आवेदन किया था, लेकिन इनके दस्तावेज पूर्ण नही होने से इनका भुगतान का कार्य नही हुआ। मैनें परिवादी के अपूर्ण दस्तावेजो के संबंध में मौखिक ही कहा था, कार्यालय से लिखित में नही दिया था। किसी परिवादी की समय पूर्व एफडीआर तुडवाने के लिए कितना न्यायिक शुल्क लगता है के संबंध में पूछने पर बताता हूं कि समय पूर्व एफडीआर तुडवाने का कोई न्यायिक शुल्क नही लगता है। आपने दिनांक 10.09.2025 को आपके कार्यालय कक्ष में परिवादी मोईनुदीन, अशोक कुमार आचार्य व आपके मध्य हुई वार्तानुसार आप द्वारा दस प्रतिशत न्यायिक शुल्क जमा करवाने के लिए बताया तथा न्यायिक शुल्क अशोक कुमार के पास जमा करवाने के लिए कहा, उसी के अनुसरण में आपके कहे अनुसार ही आज श्री अशोक कुमार नें 33000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर आपके कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखे है, इस संबंध में आपका क्या कहना है, इस संबंध में मेरा कहना है कि आज मुझे दोपहर बाद फीवर हो रहा था तो मैनें अशोक कुमार को मेरी कार्यालय अलमारी की एफडीआर भुगतान हेतु चाबी दे दी थी, मेरे कार्यालय से निकलते समय ही मुझे मोईनुदीन गैलेरी में ही मिल गया था। जिसको मैनें कहा कि एफडीआर का भुगतान ले लेना, मैं इसके बाद में घर की तरफ निकल गया। अशोक कुमार द्वारा मेरी अलमारी में 33000 रूपये कैसे रखे मुझे जानकारी नही है। मेरे पास दिनांक 10.09.2025 को आये थे, उस समय ही इनका एफडीआर तुडवाने का आर्डर हो गया था, लेकिन फरीदा बेगम के उपस्थित नही होने से उसको एफडीआर तुडवाने का आर्डर नही दिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार आचार्य से पूछताछ कर स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैं वर्ष 2005 से इस कार्यालय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत संविदा पर मार्च 2024 तक कार्य किया। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट बंद हो गया लेकिन मुझे उप श्रम आयुक्त कार्यालय में लगातार पियोन का कार्य करवाने हेतु रख लिया है। मुझे अभी कार्यालय स्टाफ द्वारा ही पैसे कलेक्शन करके 5-6 हजार रूपये कैश देते है, उसी पैसो से मैं काम चला रहा हूं। कल दिनांक 10.09.2025 को मोईनुदीन मेरे पास कार्यालय में आया था। मैं कल मोईनुदीन को एएओ साहब नरेन्द्र जी के पास लेकर नही गया। कल मेरी, नरेन्द्र जी की एवं मोईनुदीन की उनकी एफडीआर तुडवाने के संबंध में कोई बात नही हुई थी। मैनें मोईनुदीन से एफडीआर राशि 4.00 लाख रूपये की दस प्रतिशत राशि एवं स्वयं के लिए 10000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग नही की थी। आज मेरे पास एक लडका व एक औरत आये थे, इनकी छोटु के नाम से डबल्यू.सी.सी. कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त एक्ट के तहत फाईल चल रही है, जो मेरी जानकारी में है। इस फाईल पर मैने दोनो के आज साईन करवाये थे, यह साईन मैनें, नरेन्द्र जी एएओ साहब के कहने से करवाये थे। मोईनुदीन से 33000 रूपये लेकर आपने श्री नरेन्द्र कुमार अलमारी में कैसे रखे, के संबंध में पूछने पर बताया कि ये कोर्ट फीस के पैसे है, इसलिये मैनें अलमारी में रख दिये। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री मोईनुदीन नें कहा कि मैनें कोई स्टाम्प लाने के लिए अशोक कुमार को नही कहा था, ये पैसे एफडीआर तुडवाने की ऐवज में मेरे से पैसे मांगे गये थे। आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार लखारा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री अशोक कुमार आचार्य (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। तत्पश्चात श्री सुनील कुमार, उप श्रम आयुक्त, जिला भीलवाडा मो.नं. - - परिवादी श्री मोईनुदीन के साले रईस पुत्र श्री छोटू खां के कर्मचारी क्षतिपूर्ति मे संबंधित मूल पत्रावली तलब कर जानकारी चाही तो श्री सुनील कुमार जी नें बताया कि ई.सी.ए प्रकरण 68/2012 में मेरे द्वारा मृतक रईस के वारिसान के पक्ष में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत 15.00 लाख रूपये मात्र मुआवजे के रूप में निर्णय दिनांक 25.02.2025 को वितरण आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत मृतक की माता श्रीमती फरीदा बेगम पत्नि छोटु खां को 7.00 लाख रूपये जरिये बैंकर्स चैक उसके खाते में जमा करवाये थे तथा 8.00 लाख रूपये जिसमें 02-02 लाख रूपये की 04 एफडी अलग अलग समयावधि के लिए एफडीआर तैयार करने के आदेश दिये थे। मेरे द्वारा दिनांक 25.02.2025 को जारी किया गया वितरण आदेश में प्रार्थीगण से 3000 रूपये न्यायिक शुल्क के रूप में स्टाम्प प्राप्त किये थे जो कार्यालय की मूल पत्रावली में लगे हुए है, जिसका विवरण दिनांक 18.02.2025 को स्टाम्प नम्बर 369142 राशि 1000 रूपये, स्टाम्प नम्बर 369143 राशि 1000 रूपये व स्टाम्प नम्बर 369144 राशि 1000 रूपये, न्यायिक शुल्क के रूप में पहले से जमा हो चुके है। दिनांक 04.07.2025 को मेरे कार्यालय में परिवादिया श्रीमती फरीदा बेगम का एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के समय पूर्व एफडीआर भुगतान हेतु प्राप्त हुआ था। जिस पर मेरे द्वारा मार्क किया गया था। जो विभागीय प्रक्रियानुसार सम्बंधित प्रभाग क्षतिपूर्ति शाखा में भेजा गया था, इस शाखा का प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार एएओ है। श्री नरेन्द्र कुमार नें मेरे पास परिवादिया फरीदा की एफडीआर तुडवाने का प्रार्थना पत्र मय नोटशीट के

कार्यालय पत्रावली दिनांक 10.09.2025 को पेश किया था, जिस पर मैनें उसी दिन नोटशीट पर आदेशित कर दिया था। प्रकरण मे संबंधित एफडीआर भुगतान का पत्र नियमानुसार दिनांक 10.09.2025 को ही जारी करना चाहिये था, यह श्री नरेन्द्र कुमार की ड्यूटी थी। श्री नरेन्द्र कुमार नें कार्यालय पत्रांक 2074 दिनांक 11.09.2025 को डिस्पेच किया है। श्री नरेन्द्र कुमार नें परिवादी श्री मोईनुदीन को समय पूर्व 4.00 लाख रूपये की 02 एफडीआर तुडवाने के लिए 10 प्रतिशत न्यायिक शुल्क जमा कराने के संबंध में पूछने पर बताता हूं कि किसी भी प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि की एफडीआर तुडवाने की ऐवज में न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम भीलवाडा में 10 प्रतिशत न्यायिक शुल्क जमा नही होता है और न ही इस संबंध में कोई अधिनियम, नियम, परिपत्र है। यदि श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ द्वारा न्यायिक शुल्क के नाम पर 10 प्रतिशत की मांग की गई है तो वह अनुचित है। आज मैं आपको ई.सी.ए प्रकरण संख्या 68/12 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां मेरे हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रस्तुत कर रहा हूं साथ ही कार्यालय आदेश क्रमांक 2074 दिनांक 11.09.2025 श्रीमती फरीदा बेगम की 4.00 लाख रूपये की एफडीआर तोडने के आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कुल पृष्ट संख्या 01 से 142 तक है, उक्त सम्पूर्ण पत्रावली के प्रथम व अंतिम पेज पर गवाहान व आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री मोईनुदीन के साले श्री रईस की वर्ष 2012 में मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत 15.00 लाख रूपये का मुआवजे के रूप में निर्णय न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त भीलवाडा द्वारा दिनांक 25.02.2025 को वितरण आदेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार श्रीमती फरीदा बेगम पत्नि छोटू खां के नाम से 15.00 लाख रूपये का मुआवजा मिला। जिसके तहत 7.00 लाख रूपये जरिये बैंकर्स चैक एवं शेष 8.00 लाख रूपये की राशि जिसमें 02-02 लाख की कुल 04 एफडीआर अलग अलग समय अवधि के लिए हुई थी। उक्त चारो एफडीआर में से श्रीमती फरीदा बेगम को मकान बनाने व भरण पोषण के लिए रूपयो की आवश्यकता होने से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के दिनांक 04.07.2025 को उप श्रम आयुक्त कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत किया था। जिस पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति शाखा प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय में कार्यरत प्राईवेट व्यक्ति श्री अशोक कुमार आचार्य द्वारा स्वयं के लिए 10000 रूपये एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से ऑर्डर जारी करवाने की ऐवज में एफडीआर राशि का 4.00 लाख रूपये का एफडीआर राशि की 10 प्रतिशत के हिसाब से 40000 रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर दिनांक 10.09.2025 को परिवादी श्री मोईनुदीन को कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाडा भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया तो आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ द्वारा परिवादी से एफडीआर तुडवाने के ऑर्डर की ऐवज में न्यायिक शुल्क की आड में 10 प्रतिशत के हिसाब से 40000 रूपये की मांग की तथा परिवादी द्वारा काफी निवेदन करने पर 30000 रूपये रिश्वत राशि अशोक कुमार आचार्य प्राईवेट व्यक्ति के पास जमा करवाने तथा 10000 रूपये अशोक कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए लेने पर सहमत हुआ। जिसके अनुसरण में आज परिवादी श्री मोईनुदीन एवं फरीदा बेगम से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाकर 33000 रूपये की रिश्वत राशि श्री अशोक कुमार द्वारा ग्रहण कर श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की कार्यालय अलमारी में रखी गई, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई तथा मौके पर श्री अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के दाहिने व बायें हाथ के धोवन व बरामदगी स्थल का धोवन लिया गया, जो हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 33000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ के कहे अनुसार ग्रहण कर उसकी अलमारी में रखना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 33000 रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। समय 10.10 पीएम पर आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नंदलाल जाति लखारा निवासी एच-60 बापूनगर भीलवाडा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उप श्रम आयुक्त कार्यालय भीलवाडा को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे गवाहान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई गजेन्द्र को दी गई। समय 10.25 पीएम पर आरोपी श्री अशोक कुमार आचार्य पुत्र श्री लादूलाल आचार्य निवासी ए-5/41 जगदीश भवन गोपाल माईनिंग के सामने जवाहर नगर भीलवाडा (प्राईवेट व्यक्ति)को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे गवाहान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पुत्र धीरज कुमार शर्मा को दी गई । समय 10.45 पीएम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम, मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ, श्री अशोक कुमार आचार्य प्राईवेट व्यक्ति मय ट्रेप कार्यवाही में शिल्ड शुदा समस्त आर्टीकल, के रवाना एसीबी कार्यालय हुआ। परिवादी श्री मोइनुदीन ने कहा कि अभी रात्रि का समय हो चुका है, तथा मेरी सासु जी को बम्मी जाना आवश्यक है, मै प्रातः आपके पास कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। अतः परिवादी को रूखसत किया गया। समय 11.10 पीएम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम, मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ, श्री अशोक कुमार आचार्य प्राईवेट व्यक्ति मय ट्रेप कार्यवाही में शिल्ड शुदा समस्त आर्टीकल, के एसीबी कार्यालय पहुॅचे।

आरोपीगणों को श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक, श्री नेमीचंद एएसआई की निगरानी में बिठाया गया। प्रकरण में जप्त एवं शिल्ड शुदा समस्त आर्टीकल श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किये गये। प्रकरण में गवाहान को रूखसत किया गया। प्रातः परिवादी के उपस्थित आने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं लेन-देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। रिश्वत लेन-देन वार्ता की मे संबंधित मैमोरी कार्ड मय डीवीआर के मन उप अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार एएओ के आवास की खाना तलाशी हेतु श्री विक्रमसिंह अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरों चितौडगढ द्वारा ली जा रही है। खाना तलाशी रिपोर्ट पूर्ण होने पर शामिल पत्रावली की जाकर नियमानुसार माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। दिनांक 12.09.2025 समय 09.15 एएम पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां, श्रीमती फरीदा बेगम व दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये जिनके समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेनदेन की ट्रांसक्रिप्ट व पेनड्राईव तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री मोईनुदीन खां, श्रीमती फरीदा बेगम व दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित है। परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिती में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.09.2025 मे संबंधित कार्यालय की डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन उप अधीक्षक की अलमारी से निकाला गया। तत्पश्चात उक्त डीवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री मोईनुदीन खां नें एवं फरीदा बेगम नें अपनी अपनी आवाज एवं आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री अशोक कुमार की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकार्डशुदा वार्ता की कार्यालय से लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द सुन सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की हैश वेल्यू श्री पवन कानि 417 से निकलवायी गई तथा हैशवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवन राव कानि0 नम्बर 417 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल 03 पेनड्राईव जिसमें से 01 पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी का न्यायालय हेतु तथा आरोपीगणों हेतु 02 पेनड्राईव पृथक-पृथक 32 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी का एवं 01 पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दया गया तथा आरोपीगणों के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 व PD-3 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क M दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 31 अंकित की गई। समय 11.15 एएम पर परिवादी श्री मोइनुदिन खां व उसकी सासु फरीदा तथा आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एवं श्री अशोक आचार्य (प्राईवेट व्यक्ति/दलाल) के मध्य दिनांक 11.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री मोईनुदीन खां नें एवं फरीदा बेगम नें अपनी अपनी आवाज एवं आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री अशोक कुमार की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड शुदा वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री खालिद हुसैन हैडकानि0 नम्बर 88 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की हैशवेल्यू श्री पवन कानि 417 से निकलवायी जाकर, हैशवेल्यू की प्रिन्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवन राव कानि0 नम्बर 417 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल 03 पेनड्राईव जिसमें से 01 पेनड्राईव 32 जी. बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी का न्यायालय हेतु तथा आरोपीगणों हेतु 02 पेनड्राईव पृथक-पृथक 32 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी का एवं 01 पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा आरोपीगणों के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-5 व PD-6 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क M-1 दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 31 अंकित की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री मोईनुदीन के साले श्री रईस की वर्ष 2012 में मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत 15.00 लाख रूपये का मुआवजे के रूप में निर्णय न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त भीलवाडा द्वारा दिनांक 25.02.2025 को वितरण आदेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार श्रीमती फरीदा बेगम पत्नि छोटू खां के नाम से 15.00 लाख रूपये का मुआवजा मिला। जिसके तहत 7.00 लाख रूपये जरिये बैंकर्स चैक एवं शेष 8.00 लाख रूपये की राशि जिसमें 02-02 लाख की कुल 04 एफडीआर अलग अलग समय अवधि के लिए हुई

थी। उक्त चारो एफडीआर में से श्रीमती फरीदा बेगम को मकान बनाने व भरण पोषण के लिए रूपयो की आवश्यकता होने से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के दिनांक 04.07.2025 को उप श्रम आयुक्त कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत किया था। जिस पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति शाखा प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय में कार्यरत प्राईवेट व्यक्ति श्री अशोक कुमार आचार्य द्वारा स्वयं के लिए 10000 रूपये एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से ऑर्डर जारी करवाने की ऐवज में एफडीआर राशि का 4.00 लाख रूपये की 10 प्रतिशत के हिसाब से 40000 रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर दिनांक 10.09.2025 को परिवादी श्री मोईनुदीन को कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाड़ा भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया तो आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ द्वारा परिवादी से एफडीआर तुडवाने के ऑर्डर की ऐवज में न्यायिक शुल्क की आड में 10 प्रतिशत के हिसाब से 40000 रूपये की मांग की तथा परिवादी द्वारा काफी निवेदन करने पर 30000 रूपये रिश्वत राशि अशोक कुमार आचार्य प्राईवेट व्यक्ति के पास जमा करवाने तथा 10000 रूपये अशोक कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए लेने पर सहमत हुआ। जिसके अनुसरण में परिवादी श्री मोईनुदीन एवं फरीदा बेगम से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाकर 33000 रूपये की रिश्वत राशि श्री अशोक कुमार द्वारा ग्रहण कर श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की कार्यालय अलमारी में रखी गई, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई तथा मौके पर श्री अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के दाहिने व बायें हाथ के धोवन व बरामदगी स्थल का धोवन लिया गया, जो हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 33000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार लखारा एएओ के कहे अनुसार ग्रहण कर उसकी अलमारी में रखना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 33000 रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हेतु कार्यालय पत्रांक 1536-37 दिनांक 13.09.2025 से श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, राज. जयपुर को प्रेषित की गई। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1.श्री नरेन्द्र कुमार लखारा पुत्र श्री नन्दलाल लखारा, उम्र 46 वर्ष, निवासी एच-60, बापू नगर भीलवाडा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाडा एवं 2. श्री अशोक कुमार आचार्य पुत्र श्री लादूलाल आचार्य, उम्र 49 वर्ष, निवासी ए-5/41, जगदीश भवन, भोपाल माईनिंग के सामने जवाहर नगर भीलवाडा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बन्शीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 239 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1336-39 दिनांक 13.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2. श्रम आयुक्त, श्रम भवन, जयपुर 3.-उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant **(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station **(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/11/1979				
2	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0227 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/09/2025 19:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 29/08/2025 Date To (दिनांक तक): 01/09/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:10 बजे Time To (समय तक): 15:42 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/09/2025 Time (समय): 18:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/09/2025 19:16:11 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 530 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b) Address(पता): KOSH KARALYA/PENSION KARALYA, JILA DUNGARPUR

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):

      District(State) (जिला (राज्य)):